रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272786
CG-DL-E-22052026-272786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2501] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948
No. 2501] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

का.आ. 2593(अ).—जबकि, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है, और तदनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित रूप से, इससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तिथि को इस अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई हैं;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110 003 को लिखित रूप में केंद्र सरकार के विचारार्थ भेज सकता है या इसे इस ईमेल पते पर भेजें: diriapolicy-moefcc@gov.in.

प्रारूप अधिसूचना

सा.___(अ).- जबकि, केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना की अनुसूची में शामिल परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) अनिवार्य करने हेतु

दिनांक 14 सितंबर, 2006 के सा.आ.1533 (अ) के माध्यम से पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की है;

और जबकि, पिछले अनुभवों के आधार पर, केंद्र सरकार ने, विशेष रूप से उन परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए समय-समय पर पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वैधता अवधि को युक्तिसंगत बनाया है जिनकी पूर्णता अवधि विभिन्न मुद्दों के कारण लंबी होती है।

और चूंकि, मंत्रालय को ऐसे बंदरगाहों और हार्बरों को दिए गए ईसी की वैधता अवधि को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में प्रारंभिक 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है जिसे 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है,

और चूंकि, जबकि मामले को क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को जांच के लिए भेजा गया था। क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद यह सिफारिश की कि बंदरगाहों और हार्बरों को दिए गए ईसी की वैधता अवधि को प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए वैध बनाया जाए, जिसे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है;

और जबकि, क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को जांच के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति को भेजा गया था। समिति का मत था कि बंदरगाह और हार्बर परियोजनाओं की लंबी अवधि और चरणबद्ध विकास की विशेषताओं को देखते हुए, बंदरगाहों और हार्बरों को दी गई ईसी की वैधता अवधि को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा 10+1 वर्ष की वैधता अपर्याप्त प्रतीत होती है;

और जबकि, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने यह भी सिफारिश की कि बंदरगाहों और हार्बरों के लिए ईसी की वैधता अवधि को प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए संशोधित किया जा सकता है, जिसे क्षेत्रीय ईएसी/एसईएसीएस विधिवत् उचित जांच और सिफारिशों के बाद अधिकतम 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है:

और जबकि, मंत्रालय में क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों की जांच की गई। समितियों की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय बंदरगाहों और हार्बरों को दिए गए ईसीएस की वैधता अवधि को युक्तिसंगत बनाना उचित समझता है;

अतः, केंद्र सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.आ.1533(अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

1. अनुच्छेद 9 में, उप-अनुच्छेद (ii) (ख) में, मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"और बंदरगाह, हार्बर, ब्रेक वाटर, ड्रेजिंग (अनुसूची की मद 7(अ)"]

2. अनुच्छेद 9 में, उप-अनुच्छेद (ii) (ग) में, "परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्

"और बंदरगाह, हार्बर, ब्रेक वाटर, ड्रेजिंग [अनुसूची की मद 7(अ)]"

3. अनुच्छेद 9 के उप-अनुच्छेद (iii) में, परंतुक में, "परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं और परमाणु ईंधन का प्रसंस्करण" शब्दों के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"और बंदरगाह, हार्बर, ब्रेक वाटर, ड्रेजिंग (अनुसूची की मद 7(अ)]"

[फा. सं. आईए3-22/8/2026- आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 14 सितंबर, 2006 के सा.आ. 1533(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और पिछली बार दिनांक 28 जनवरी 2026 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 289(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

S.O. 2593(E).— WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

Draft Notification

S.O. ______(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects covered in the schedule of the notification;

And whereas, based on the past experiences, the Central Government from time to time has rationalised the validity period of Environmental Clearances (EC), especially for projects and activities which have high gestation period due to various issues which are often beyond the control of the project proponent;

And whereas, the Ministry has received a request to rationalise the validity period of the ECs granted to Ports and Harbours, which is currently valid for an initial period of 10 years which may be extended for a further period of 1 year;

And whereas, the matter was referred to the sectoral Expert Appraisal Committee for examination. The sectoral Expert Appraisal Committee after due deliberation recommended that the validity period of the ECs granted to Ports and Harbours may be revised as valid for an initial period of 15 years, which may be extended for a period of 5 years;

And whereas, the recommendations of the sectoral Expert Appraisal Committee was referred to the Expert Advisory Committee for examination. The Committee was of the opinion that, considering the long gestation and phased development characteristic of Port and Harbour projects, the validity period of EC granted to ports and harbours need to be rationalised as the existing 10+1 years validity appears to be insufficient;

And whereas, after detailed deliberation, the Expert Advisory Committee also recommended that the validity period of EC for Ports and Harbours, may be revised as an initial period of 15 years which may extended for a maximum period of not more than 5 years after due examination and recommendations of the sectoral EAC/SEACs;

And whereas, the recommendations of the sectoral Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee were examined in the Ministry. Based on the recommendations of the Committees, the Ministry deems it appropriate to rationalise the validity period of the ECs granted to Ports and Harbours;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

1. in paragraph 9, in sub-paragraph (ii) (b), the following shall be inserted after the existing entries, namely:-

   "*and Ports, harbors, break waters, dredging [item 7(e) of the schedule]*"

2. in paragraph 9, in sub-paragraph (ii) (c), after the words "*Nuclear power projects*", the following shall be inserted, namely:-

   "*and Ports, harbors, break waters, dredging [item 7(e) of the schedule]*"

3. in paragraph 9, in sub-paragraph (iii), in the proviso, after the words "*Nuclear power projects and processing of nuclear fuel*", the following shall be inserted, namely:-

   "*and Ports, harbors, break waters, dredging [item 7(e) of the schedule]*"

[F. No. IA3-22/8/2026-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 289(E) dated 28th January 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA